द्वारका-शारदापीठ एवं ज्योतिषपीठ के परमपूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। ——— नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

'मौसम का मिजाज बिगड़ने के कारण कहीं सूखा है या कहीं बाढ़। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से गंभीर है।

——— नरेंद्र सिंह तोमर , कृषि मंत्री

संक्षिप्त खबरें

30 तक बढ़ाई लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि

पूर्वी दिल्ली । पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में बिना जुर्माने के सामान्य व्यापार/भंडारण लाइसेंस, फैक्टरी लाइसेंस, वेटनरी लाइसेंस और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण की तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। 30 सितम्बर के बाद लाइसेंस नवीनीकरण पर जुर्माना देय होगा। गौरतलब है कि कुछ प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के ही काम कर रहे है। ऐसे प्रतिष्ठानों को एक मौका दिया जा रहा है। 30 सितम्बर के बाद बगैर लाइसेंस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

रामलीला समिति ने मंत्री को भेंट की गदा

नई दिल्ली । केंद्रीय पर्यावरण एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से बृहस्पतिवार को दिल्ली स्थित उनके आवास पर ओरछा के राजा राम की लीला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और समिति के चेयरमैन सत्य भूषण जैन व अध्यक्ष डॉ. वीपी टंडन ने उन्हें श्रीराम जी की स्मृति के साथ गदा भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को 6 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाले लीला मंचन देखने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुलाकात के दौरान डॉ. वीपी टंडन ने मंत्री को बताया कि इस बार देश-विदेश में राम की लीला के मंचन को वर्चुअल संचार माध्यमों के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां भी भाग लेंगी।

हॉकी टीम की खिलाड़ी नेहा का स्वागत

नई दिल्ली । उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने टोकियो ओलंपिक की भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नेहा गोयल का बड़ौदा हाउस में स्वागत किया। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर थी। महाप्रबंधक ने टीम की सदस्य नेहा गोयल के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इस अवसर पर एनआरएसए के प्रेसीडेंट अनिल खंडेलवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे ।

करनाल में आंदोलनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदर्शन करते वकील।

फोटो : एसएनबी

कोई भी लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से नहीं रहेगा वंचित : इमरान हुसैन

नई दिल्ली (एसएनबी)। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के लिए खाद्य आयुक्त व खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, दिल्ली में गैर-पीडीएस लाभार्थियों (राशन कार्ड के बिना) को खाद्यान्न वितरण से सम्बंधित प्रगति की भी समीक्षा की।

बैठक के दौरान इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली में कोई भी राशन लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से वंचित नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्री ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि पर्याप्त राशन उपलब्ध हैं और राशन प्राप्त करने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि एफपीएस डीलरों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को एक बार में मुफ्त राशन वितरित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राशन वितरण सुचारू, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से किया जाए। राशन लाभार्थियों को पूरे कोटे का राशन देने से मना करने वाले एफपीएस

> मंत्री ने की राजधानी में मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक

डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हुसैन ने बताया कि मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थिति के दौरान व्यापक जनिहत में लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस निर्णय से 72,77,995 लाभार्थियों के लगभग 17,78,632 परिवारों को लाभ मिल रहा है, जिसमें 2,81,006 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) लाभार्थियों वाले 68,732 परिवार शामिल हैं।

बैठक के दौरान खाद्य आयुक्त ने बताया कि एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग अब तक लगभग 87 प्रतिशत राशन वितरित किया जा चुका है। खाद्य आयुक्त ने यह भी बताया कि लाभार्थियों को ई-पॉस डिवाइस के माध्यम से सुचारु रूप से राशन वितरित किया जा रहा है और तकनीकी खामियों का त्वरित हल किया जा रहा है। मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से सभी एफपीएस दुकानों पर उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त नेटवर्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को राशन वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो। हुसैन ने यह भी कहा कि ओएनओआरसी 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत राशन वितरण अब दिल्ली में ई-पीओएस लागू किया गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफपीएस डीलरों को डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से पात्रता जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि प्रवासी लाभार्थियों को भी बिना किसी परेशानी के उनका राशन मिल सके।

जेल में अंकित गुर्जर की मौत का मामला

जांच सीबीआई को देने के मामले में आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंकित गुर्जर के शरीर पर चोट के निशान यह बताते हैं कि जेल में उसके साथ हिंसा हुई थी। उसने यह भी कहा कि इस घटना में जेल अधिकारियों की तरफ से जबरन वसूली का एक बड़ा मुद्दा शामिल है। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी के साथ इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपे जाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

> जो पीड़ित के साथ हुआ, वह दूसरों के साथ भी हुआ होगा : कोर्ट
>
> चोट की प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह हिरासत में हिंसा का मामला है : कोर्ट

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने यह टिप्पणी अंकित गुप्ता के परिवार के सदस्यों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की। उसके परिवार के सदस्यों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कोर्ट ने कहा, मुद्दा यह है कि जिस वक्त (पीड़ित से) फोन बरामद किया जाता है, आपका (जेल) अधिकारी पैसे मांगता है... परिवार से पैसे की उगाही की जाती है। यह काफी गंभीर मामला है। जो पीड़ित के साथ हुआ, वह दूसरों के साथ भी हुआ होगा। चोट की प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह हिरासत में हिंसा का मामला है।

गुर्जर (29) 4 अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत मिला था। गुर्जर के परिवार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पीड़ित को जेल अधिकारी परेशान कर रहे थे क्योंकि वह पैसे की उनकी नियमित रूप से बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसकी सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर दी गई।कोर्ट ने 18 अगस्त को याचिका पर दिल्ली पुलिस और जेल अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

नई बसों से अधिक खर्चीला है पुरानी बसों को बनाए रखना : विधायक

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने दावा किया है कि दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों की तकनीकी आयु पूरी हो चुकी है और उनको सड़क पर बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार जितनी राशि खर्च कर रही है, उससे 2000 नई बसों की खरीद की जा सकती है।

गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक हजार नई बसों की खरीद पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस हिसाब से अगर वह डीटीसी बेड़े की सभी 3728 बसों को बदलने का तय करें तो कुल 1800 करोड़ रुपये खर्च आएगा जबकि इन पुरानी बसों के रखरखाव के लिए इससे ज्यादा राशि खर्च की जा रही है। गुप्ता ने कहा डीटीसी का घाटा नई ऊंचाइयां छू रहा है, जबकि बसों की संख्या घट रही है जिससे दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। आप सरकार ने डीटीसी को सरकारी खजाने को लूटने और हथियाने का जरिया बना लिया है।

स्कूल बसों व कैब को रोड टैक्स से किया जाए मुक्त : स्कूल संगठन

नई दिल्ली (एसएनबी)। निजी स्कूल प्रबंधकों के एक संगठन ने मांग की है कि स्कूल बसों व कैब को रोड टैक्स से मुक्त किया जाए। संगठन का कहना है कि पिछले डेढ़ सालों से स्कूल की बस और कैब स्कूलों में बंद पड़ी है जो पिछले डेढ़ वर्षों में एक भी दिन रोड पर नहीं आई ना ही उनका किसी और कारण से इस्तेमाल हो पाया है।

दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा है कि बसों के समाप्ति का पीरियड जो डीजल के लिए 10 साल पेट्रोल के लिए 15 साल है उसको भी 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 सालों में इन बसों स्कूल गाड़ियों का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो पाया। ऐसा करने से जहां स्कूल प्रशासन को राहत मिलेगी। जैन ने कहा है कि सरकार इस पर तुरंत फैसला ले क्योंकि बहुत सारे स्कूल इस वजह से भी स्कूल की बसों व कैब को सड़कों पर स्कूल खुलने के बाद भी नहीं उतार पा रहे हैं।

जामिया में एनईपी 2020 पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित

नई दिल्ली (एसएनबी)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शिक्षा संकाय के शिक्षा स्कूल ने 'ट्रांसफॉर्मेटिव रिफार्म्स इन एनईपी 2020: प्रेजेंट इनिशिएटिव्स एंड रोड अहेड विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का उदघाटन बीएचयू के कुलपति प्रो. विजय कुमार शुक्ला और जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने किया। समापन सत्र पर मुख्य अतिथि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रो. रवींद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के कुछ सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं की थोड़ी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। प्रो. सिन्हा ने यह भी कहा कि एनईपी के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का उद्देश्य न केवल एक बच्चे के सीखने के परिणामों में सुधार करना है, बल्कि भारत के ज्ञान को विकसित करना भी है। प्रो. नजमा अख्तर ने कहा कि इस शिक्षा नीति का भाग्य पिछली नीतियों से बहुत अलग होने जा रहा है।

अपहृत की तलाश

फराना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का (चित्र में दर्शाया गया), जिसका नामः फराना, पुत्रः सोनू, पताः म0सं0 ई–241, गली नं0 09 शास्त्री पार्क, दिल्ली उम्र लगभग 1 वर्ष और 6 महीने जो दिनांक 15.02.20217 से उपरोक्त पते से अपहृत है। इस बाबत FIR No. 131/17 u/s 363 IPC, दिनांक 15.02.2017 से थाना न्यू उस्मान पुर, दिल्ली में दर्ज है। लड़का का शारीरिक ब्योरा इस प्रकार हैः

कदः 1' 4" फीट, रंगः गोरा, चेहराः गोल, शरीरः पतला, पहनावाः गुलाबी और सफेद रंग की स्वेटर, हरे रंग की पैजामी और पैरों में गुलाबी रंग की सैन्डल पहने हुए।

किसी व्यक्ति को इस अपहृत लड़का के बारे में कोई भी जानकारी/सूचना मिले तो इसकी सूचना थाना न्यू उस्मान पुर, दिल्ली को ई–मेलः cic@cbi.gov.nic.in अथवा वेबसाइटः http://cbi.nic.in फोन नम्बरः 011-24368638 or 24368641 पर दें।

थानाध्यक्ष
थाना, न्यू उस्मान पुर, दिल्ली
फोनः 011-22172410, 22175468

DP/1001/NE/2021

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हाथरस

पृष्ठांकन संख्या-862/नि.अनु./2021-22 दिनांकः 02.09.2021

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद, हाथरस द्वारा शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास योजना एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त निधि से प्रतिशत के आधार पर नगर पालिका परिषद, हाथरस व प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारों से सपठित नियम व शर्तों के अधीन चार (04) श्मशानों के सौन्दर्यीकरण कार्य की टू- बिड पद्धति के आधार पर ई- निविदा दिनांक 10.09.2021 को 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं व निविदा कमेटी के समक्ष कार्यालय नगर पालिका परिषद, हाथरस पर खोली जायेगी। कार्य का विवरण, निविदा शुल्क, धरोहर धनराशि तथा नियम व शर्तें का पूर्ण विवरण नगर पालिका परिषद, हाथरस की वेबसाईट www.npphathras.org पर देखा जा सकता है। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में निर्माण अनुभाग, नगर पालिका परिषद, हाथरस से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 03.09.2021 से केवल एन.आई.सी. की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर से ही डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकेंगी। दिनांक 10.09.2021 को ही निविदा के साथ संलग्न किये गये सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्डकापी एवं निविदा फार्म के निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करना होगा।

(अनिल कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हाथरस,

(आशीष शर्मा)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, हाथरस,

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांक : मु.चि.अ./एन.यू.एच.एम/संविदा/नियुक्ति/2021 दिनांक : 02.09.2021

प्रेस विज्ञप्ति

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एस.पी.एम.यू./मा.स्वा./म.सं.सा./105-4/2019-20/1175-75 दिनांक : 07.05.2019 एवं पत्रांक 179/एस.पी.एम.यू./ एन.एच.एम. / वाक्-इन/2020-21/4106 दिनांक : 16.10.2020 के अनुपालन में एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन दिनांक : 13.08.2021 के क्रम में एन.यू.एच.एम. अन्तर्गत एम.बी.बी.एस. चिकित्सक ((संविदा) के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	पदनाम	फेसिलिटी का नाम	अर्ह शैक्षिक योग्यता	वांछित अनुभव(यदि आवश्यक हो)	रिक्त पदों की संख्या (आरक्षण सहित)	रिक्त पद के सापेक्ष अनुमोदित मानदेय (रु. प्रतिमाह)
1.	एन.यू. एच.एम.	एम.बी.बी.एस. चिकित्सक	यू.पी. एच.सी.	एम.बी.बी.एस. (एम.सी.आई./ यू.पी. स्टेट काउंसिल में पंजीकृत)	-	17 (06 सामान्य, 05 अ.पि.व., 05 अनु. जाति एवं 01 अनु. जन जाति)	55000/-

आवेदन हेतु निर्देश :-

1. उपरोक्त समस्त पदों पर वाक्-इन-इंटरव्यू दिनांक : 16.09.2021 (बृहस्पतिवार) को प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद के सभागार में सम्पन्न कराया जाएगा।
2. इच्छुक अभ्यर्थी वाक्-इन-इंटरव्यू के समय नवीनतम बायोडाटा, समस्त वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, दो नवीनतम कलर फोटोग्राफ तथा वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों के 01 सेट के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. यह पद पूर्णतया नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
4. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति संविदा पर शासन के अग्रिम आदेश / दिनांक : 31.03.2022 तक मान्य होगी। जिसे भारत सरकार के अनुमोदनोंपरान्त आगे बढ़ाया जा सकता है।
5. कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की संविदा समाप्त की जा सकती है।
6. साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 65 वर्ष से अधिक न हो।
8. जनपदीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही अभ्यर्थीयों को नियुक्ति पत्र जारी किये जायेगें।

नोट :- उक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। कोई भी प्राईवेट संस्था उक्त विज्ञापन को अपने स्तर से छापने का कष्ट न करें अन्यथा उनके खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद

पृष्ठांकन सं. : मु.चि.अ./एन.यू.एच.एम./संविदा/नियुक्ति/2021/6482 (1-15) तद्दिनांक ।

दिल्ली सरकार पार्कों का करेगी सौन्दर्यीकरण

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पार्कों का सौन्दर्यीकरण करेगी। इससे दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगेंगे । मुख्यमंत्री पार्क सौदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली के सभी पार्कों को खूबसूरत बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विश्व के खूबसूरत शहरों में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बागों का शहर बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से दिल्ली के पार्कों को सहेजने और खूबसूरत बनाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की।

> इससे दुनिया के खूबसूरत शहरों में होगी शुमार राजधानी : सिसोदिया

उपमुख्यमंत्री ने बअहस्पतिवार को इस योजना की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए । दिल्ली के पार्कों को खूबसूरत बनाने की इस मुहिम के तहत उपमुख्यमंत्री दिल्ली के पार्कों का दौरा कर उनका जायजा लेंगे। साथ ही आस-पास के निवासियों से पार्कों के सौदर्यीकरण को लेकर सुझाव भी लेंगे। दिल्ली के पार्कों को खूबसूरत बनाने में हम दिल्ली के सभी नागरिकों का योगदान चाहते हैं। हम सभी अपनी दिल्ली को खूबसूरत बनाने में योगदान दें। दिल्ली सरकार दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इस दिशा में दिल्ली के सभी पार्कों का सौदर्यीकरण करना एक बड़ा कदम साबित होगा। जब दिल्ली के नागरिक इन पार्कों में जाएंगे तो उन्हें खुशनुमा माहौल मिलेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से सुझाव लेने के बाद पार्कों के प्रवेश द्वार को आकर्षक बनाने, पार्कों में ओपन जिम की शुरुआत करने, लोगों के टहलने के लिए बने ट्रैक्स को बेहतर बनाने, पार्कों में जरूरत के हिसाब से नए विभिन्न प्रजातियों की फूल, फल व छायादार पौधे लगाने की योजना पर काम होगा।

नवनिर्मित फिक्स कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन

पूर्वी दिल्ली (एसएनबी)। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को वार्ड संख्या-39 में पुराना बस स्टैंड, जीटी रोड शाहदरा में नवनिर्मित फिक्स कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष प्रवेश शर्मा, पूर्व महापौर हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ पार्षद रीना माहेश्वरी, सुमनलता नागर और निगम के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय निगम पार्षद अजय शर्मा ने की। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़े के बेहतर निस्तारण के लिए रचनात्मक कार्य किए जा रहे है। तिवारी ने महापौर व उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद निगम स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा व जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहा है। महापौर अग्रवाल ने कहा कि एक करोड़, 8 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस फिक्स कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने सीमित संसाधनों के सहारे नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है।

> सांसद मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने किया उद्घाटन

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
बोर्ड नंबर : +91–11–23736857, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : भू तल, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा,
उत्तर प्रदेश–201301 लैंडलाइन – +7292015075

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित नियम 8(2) तथा परिशिष्ट–4 के अनुसार

ऋण खाता सं. : (1) डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/0818/572312, (2) डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/0818/572320, (3) डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/0818/572322, (4) डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/1216/335631 तथा (5) डब्ल्यूएफएन/सीसीएफ/0517/389807

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 28 जून, 2021 जारी की थी, जिसमें कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाताओं नामतः मैसर्स अजनारा इंडिया लिमिटेड, मैसर्स एडनोइस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सीक्वल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री विनोद कुमार गुप्ता से उक्त मांग सूचना में वर्णितानुसार 17 जून, 2021 तक बकाया राशि भारतीय रूपए 172,09,98,066.46 (रूपए एक सौ बहत्तर करोड़ नौ लाख अठ्ठानवे हजार छियासठ तथा पैसे छियालीस मात्र) तथा उपरोक्त राशि पर उसके बाद भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उद्भूत और उपगत संविदात्मक दरों पर ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों, इत्यादि उक्त मांग सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

चूंकि कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाता अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांकित 28 जून, 2021 में वर्णित बकाया पूर्ण राशि, उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाताओं तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का प्रलक्षित कब्जा 31 अगस्त, 2021 को प्राप्त कर लिया है।**

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाताओं को तथा जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार उक्त बकाया राशि एवं उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की 17 जून, 2021 तक बकाया राशि भारतीय रूपए 172,09,98,066.46 (रूपए एक सौ बहत्तर करोड़ नौ लाख अठ्ठानवे हजार छियासठ तथा पैसे छियालीस मात्र) तथा उपरोक्त राशि पर उसके बाद भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उद्भूत और उपगत संविदात्मक दरों पर ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों, इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाताओं का ध्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

क. प्रोजेक्ट फेज–।। आवासीय का तात्पर्य अजनारा इंटेग्रिटी फेज–।। (आवासीय क्षेत्र) होगा, जिसमें लगभग 82,504 वर्ग मीटर बिक्री योग्य क्षेत्रफल वाली कुल 811 आवासीय यूनिट्स की 5 टावर्स शामिल हैं, जो भूमि परिमाप लगभग 24,889 वर्ग मीटर (6.15 एकड़) पर निर्मित हैं, तथा उस पर सभी वर्तमान और भावी स्ट्रक्चर, उनसे संबंधित सभी अधिकारों, स्वामित्व तथा हितों सहित (जिसमें कॉमन एरियाज सुविधाएं, उपयोगिताएं, इत्यादि, परंतु उन्हीं तक सीमित नहीं, पर अधिकार शामिल है), जो राजस्व सम्पदा में स्थित खाता नंबर 0322, 01003, 424, 00263, 00443, 00095 तथा खसरा नंबर 981, 1049, 1050, 983, 979, 1049, 977, 978 में शामिल भूमि परिमाप 18.87 एकड़ अर्थात 76,379.157 वर्ग मीटर के समस्त अंश एवं खंड पर स्थित प्रोजेक्ट अजनारा इंटेग्रिटी का भाग है।

ख. टाइम्स स्क्वायर का तात्पर्य सेक्टर–129, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित लीजहोल्ड कॉमर्शियल प्लॉट नंबर सी3–ई2 परिमाप 7486 वर्ग मीटर (लगभग 185 एकड़) होगा।

ग. अजनारा जेन एक्स का तात्पर्य ग्राम ढुंडाहेड़ा, गाजियाबाद में स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक नामक टाउनशिप में खसरा नंबर 729, 730, 731, 739, 740, 741, 711, 712, 748, 749 में शामिल भूमि परिमाप 9578 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 6 (खसरा नंबर 737, 738 तथा पार्ट खसरा नंबर 712, 727, 728, 733, 789 में शामिल 6010 वर्ग मीटर परिमाप) तथा प्लॉट नंबर 6 (खसरा नंबर 732 तथा पार्ट खसरा नंबर 711, 714, 723, 728, 733, 787 तथा 789 में शामिल 6184 वर्ग मीटर परिमाप) कुल भूमि परिमाप 21772 वर्ग मीटर और उस पर स्ट्रक्चर होगा।

घ. प्रोजेक्ट अजनारा स्पोर्ट्स सिटी का तात्पर्य सेक्टर–27, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर एससी–02सी पर प्रोजेक्ट अजनारा स्पोर्ट्स सिटी तथा उसमें भूमि परिमाप 2,51,565 (62 एकड़) वर्ग मीटर और उस पर स्ट्रक्चर होगा।

ङ. 37 शॉपस/कॉमर्शियल स्पेसेज/यूनिट्स के सभी अंश एवं खंड, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, ग्राम ढुंडाहेड़ा सेक्टर–6, एनएच–24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित "क्रॉसिंग रिपब्लिक" नामक टाउनशिप के अंश रूप अविभाजित और अवियोजनीय कुल भूमि कॉमर्शियल प्लॉट नंबर सी–5 पर, खसरा नंबर 751, अंश खसरा नंबर 747, खसरा नंबर 749, खसरा नंबर 750, खसरा नंबर 752 तथा खसरा नंबर 787 के अंतर्गत प्लॉट भूमि परिमाप 2000 वर्ग मीटर पर विकसित/विकसित किए जाने वाले अजनारा आर्केड नामक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सभी अधिकार, स्वामित्व तथा हित सहित।

यूनिट्स, जिसमें (आवेदन/बिकी/अनबिकी यूनिट्स) शामिल हैं, की विस्तृत सूची भी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com पर उपलब्ध है

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांकित : 31–08–2021

श्री आशीष के. सिंह
प्राधिकृत अधिकारी,
वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड